कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 903 /कानपुर/211/2018, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 30, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : कानपुर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विधूना कैनाल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन0एच0–86 के किनारे किमी0 20.800 से 61.900 तक पाइप लाईन डालने हेतु 14.385 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/08/77/2018/एफसी/464, दिनांक 12.10.2018,
उ0प्र0 शासन का पत्रांक–भा0स0–130/14–2–2018–800(153)/2018, दि0 15.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार का सन्दर्भित पत्र जो शासन को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त पत्र द्वारा कतिपय 03 बिन्दुओं की सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, जो सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी। उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, कानपुर के पत्रांक–1350/5–6, दिनांक 26.10.2018 द्वारा वांछित बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण कर बिन्दुवार सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं।

अतः मुख्य वन संरक्षक, कानपुर के उक्त पत्र दि0 26.10.18 की संलग्नक सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि सूचनाओं की संलग्नक सहित एक प्रति एवं ऑनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित कर, प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

30/10

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, कानपुर के उक्त पत्रांक–1350/5–6, दिनांक 26.10.2018 की संलग्नक सहित एक प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, कानपुर।
3– परियोजना प्रबन्धक(निर्माण इकाई), उ0प्र0 जल निगम, घाटमपुर, कानपुर।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।